न्यूज़ टुडे

केंद्र ने लोक सभा में "दंड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022" {Criminal Procedure (Identification) Bill 2022} पेश किया

- यह विधेयक **गृह मंत्रालय** की ओर से सरकार द्वारा पेश किया गया है। इस विधेयक में क्रिमिनल यानी आपराधिक या दांडिक मामलों में **पहचान और जाँच के उद्देश्य से दोषी और 'अन्य व्यक्तियों' के बायोमेट्रिक मेजरमेंट्स या नमूने लेने का अधिकार** देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, इस विधेयक में ऐसे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने का भी प्रावधान किया गया है।
  - यह विधेयक जब कानून बन जाएगा तो यह **"कैदी पहचान कानून, 1920 (The Identification of Prisoners Act, 1920)** की जगह लेगा। ज्ञातव्य है कि **कैदी पहचान कानून में केवल** फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लेने का ही अधिकार प्रदान किया गया है।
- **इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:**
  - यह विधेयक **सज़ायाफ्ता यानी दोषियों और आरोपी व्यक्तियों के शारीरिक एवं जैविक नमूने एकत्र करने के लिए पुलिस को कानूनी अधिकार** प्रदान करता है। पुलिस ऐसे रिकॉर्ड्स को भंडारित कर भविष्य में संबंधित व्यक्तियों की पहचान कर सकती है।
    - **यह विधेयक 'मेजरमेंट्स या माप' को परिभाषित कर इसमें निम्नलिखित को शामिल करता है:** उंगली का छाप, हथेली और पैरों की छाप, फोटो, आँखों की पुतली, रेटिना स्कैन, शारीरिक या जैविक नमूने आदि।
    - ऐसे मेजरमेंट्स के रिकॉर्ड्स को नमूना लेने की तारीख से **अगले 75 साल के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।**
    - इस विधेयक में **'मेजरमेंट्स या माप'** के तहत **व्यवहार संबंधी विशेषताओं** (जैसे कि **हस्ताक्षर, लिखावट**) या दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)] 1973 की धारा 53 या धारा 53A में शामिल किसी अन्य जांच के नमूने इकठ्ठा करने का भी प्रस्ताव किया गया है।
  - यह विधेयक **नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** को मेजरमेंट्स के रिकॉर्ड्स को इकठ्ठा करने, उन्हें भंडारित करने और सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। **साथ ही, यह विधेयक NCRB को इन रिकॉर्ड्स को साझा, प्रसार, नष्ट और निपटान करने का भी अधिकार देता है।**
  - यह विधेयक निम्नलिखित तीन प्रकार के व्यक्तियों की बायोमेट्रिक माप लेने का अधिकार प्रदान करता है:
    - **किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति,**
    - **किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, या**
    - **किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक निरोध) कानून के तहत पकड़ा गया व्यक्ति।**

इस विधेयक से जुड़ी मुख्य चिंताएं

- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** इस विधेयक के प्रावधान संविधान के **अनुच्छेद 20(3)** का उल्लंघन करते हैं। साथ ही, इसके प्रावधान अनुच्छेद 21 के तहत वर्णित नागरिकों के जीवन और निजता के **मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं।**
- **"अन्य व्यक्तियों"** में कौन शामिल हैं, इसे **स्पष्ट रूप से परिभाषित** नहीं किया गया है।
- यह **न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत **"भूल जाने के अधिकार" (Right to be Forgotten)** का भी उल्लंघन करता है।

दूरसंचार सचिव ने टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) की रिपोर्ट जारी की

- इस रिपोर्ट का **शीर्षक है– "स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके 5जी नेटवर्क के लिए छोटे सेल की शुरुआत (Rollout of Small Cells for 5G Networks by leveraging Street Furniture)"।**
- **स्मॉल सेल** एक सेल्युलर बेस स्टेशन होता है। इसका कवरेज क्षेत्र दस मीटर से लेकर कई सौ मीटर तक हो सकता है। हालांकि, **सामान्य मोबाइल मैक्रो सेल** का कवरेज क्षेत्र कई किलोमीटर तक हो सकता है। इस प्रकार **मैक्रो सेल** का कवरेज क्षेत्र, **स्मॉल सेल** के कवरेज क्षेत्र से अधिक होता है।
  - **ट्राई (TRAI) ने स्मॉल सेल्स** लगाने के लिए **स्ट्रीट फर्नीचर्स** की उपयुक्त संपत्ति के रूप में पहचान की है। **स्ट्रीट फर्नीचर्स** का आशय सड़क पर लगे बिजली के खंभों, विज्ञापन होर्डिंग्स, बस शेल्टर्स और टावर्स से है।
- अलग–अलग प्रकार के 5G स्मॉल सेल्स संस्करण निम्नलिखित हैं:
  - **फेमटोसेल्स (Femtocells):** इनका कवरेज क्षेत्र 10 मीटर तक होता है।
  - **पीकोसेल्स (Picocells):** इनका कवरेज क्षेत्र 200 मीटर तक होता है।
  - **माइक्रोसेल्स (Microcells):** इनका कवरेज क्षेत्र लगभग दो किलोमीटर तक होता है।
- **5जी नेटवर्क में स्मॉल सेल्स की आवश्यकता क्यों है?**
  - **ऑफलोडिंग हेतु:** किसी क्षेत्र के मैक्रो साइट पर दबाव बढ़ने से वह संबंधित क्षेत्र की संपूर्ण आबादी को सेवा प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है।
  - **क्षमता वृद्धि हेतु:** किसी बिल्डिंग/क्षेत्र को सेवा प्रदान करने वाले मैक्रो साइट, उस बिल्डिंग/क्षेत्र के **कुछ हिस्सों में पर्याप्त क्षमता के साथ सेवा प्रदान नहीं कर पाते हैं।**
  - बेसमेंट, भूमिगत मेट्रो सुरंगों आदि में **इंडोर कवरेज प्रदान करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है।**
- **इससे संबंधित मुद्दे:**
  - अभी स्मॉल सेल्स के संबंध में कोई **नियामकीय व्यवस्था** नहीं है।
  - राज्यों और नगरपालिका निकायों द्वारा **राईट ऑफ वे (RoW) नियमों का असमान रूप कार्यान्वयन किया जाता है।**
  - **स्थिरता संबंधी मुद्दे:** इसके तहत बिजली के खंभों द्वारा **स्मॉल सेल्स के भार को** सहन करने की क्षमता और खंभों के गिरने की संभावना जैसे मुद्दे शामिल हैं।

इस संबंध में किए जाने वाले उपाय

- **स्मॉल सेल्स** के संबंध में बिल्डिंग/स्ट्रीट फर्नीचर परमिट के लिए **सरलीकृत और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं** को अपनाया जाना चाहिए।
- **नये साइट्स के अधिग्रहण (acquisition)** को सुगम बनाने हेतु मानदंड तैयार करना चाहिए।
- **उपलब्ध संपत्तियों** जैसे कि टावर्स, बिल्डिंग्स एवं अन्य संरचनाओं के संबंध में **अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित** की जानी चाहिए।

ओवरसीज या विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया आसान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं

- हाल ही में, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने कहा है कि, सरकार **अनिवासी भारतीयों (Non-Resident Indians: NRIs) के लिए ऑनलाइन तरीके से मतदान की व्यवस्था करने** की संभावना तलाश रही है।
- **ओवरसीज/NRI मतदाता:** ये **ऐसे भारतीय नागरिक हैं, जिन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली** है और रोजगार, शिक्षा आदि के कारण **देश में बाहर रह रहे** हैं। ऐसे भारतीय नागरिक अपने भारतीय पासपोर्ट में उल्लिखित पते पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के पात्र होते हैं।
- **जन प्रतिनिधित्व कानून में वर्ष 2010 में संशोधन** कर विदेशों में रह रहे पात्र भारतीय मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, ये लोग केवल **उस मतदान केंद्र पर खुद उपस्थित होकर मतदान कर सकते हैं जहां उनका नाम ओवरसीज मतदाता के रूप में पंजीकृत है।**
  - मतदान केंद्र पर खुद उपस्थित होकर मतदान करने के प्रावधान से, अधिकांश पात्र मतदाता खुश नहीं हैं। यही कारण है कि मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के बावजूद मतदान में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है।
- इससे पहले, भारत के चुनाव आयोग ने NRIs को **"इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम" (ETPBS)** के माध्यम से वोट डालने की अनुमति देने हेतु सरकार से आग्रह किया था।
  - ETPBS की सुविधा फिलहाल सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और विदेशों में सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध है।

भारत ने श्रीलंका को एक अरब डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) या ऋण सहायता प्रदान की

- वर्तमान समय में श्रीलंका घोर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में श्रीलंका को अपने आर्थिक संकट से निपटने में मदद करने के लिए भारत ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। भारत सरकार यह राशि अपनी वित्तीय सहायता के भाग के रूप में उपलब्ध कराएगी।
  - लाइन ऑफ क्रेडिट से प्राप्त राशि का उपयोग भारत से **खाद्य पदार्थों, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को आयात** करने के लिए किया जाएगा।
  - इसके लिए **भारतीय स्टेट बैंक और श्रीलंका सरकार** के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
  - इससे पहले भारत–श्रीलंका ने दिसंबर 2021 में **चार–स्तंभों वाले आर्थिक सहयोग की एक व्यवस्था** को अंतिम रूप दिया था। इसी के तहत वर्तमान में **1 अरब अमेरिकी डॉलर** के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई है।

- **श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण:**
  - विदेशी मुद्रा भंडार में कमी।
  - चीनी, फार्मास्यूटिकल्स, ईंधन, दाल और अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयात पर अत्यधिक निर्भरता।
  - कोविड–19 वैश्विक महामारी से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है।
  - श्रीलंका ने कृषि कार्यों को पूर्णतः जैविक बनाने के लिए रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाया है। इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- **भारत पर प्रभाव:**
  - वर्तमान आर्थिक संकट से **कोलंबो बंदरगाह** के परिचालन में बाधा आ सकती है। इससे भारत के लिए लागत और जहाजों के जमावड़े में वृद्धि हो सकती है।
  - श्रीलंका की मदद के लिए **चीन की बढ़ती मौजूदगी।**
  - स्पॉट ट्रेडिंग और विदेशी कॉन्ट्रैक्ट्स पर रोक लगाने से, भारत से श्रीलंका को होने वाला **निर्यात नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ** है।
  - भारत में **श्रीलंकाई शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि** (मुख्य रूप से दक्षिणी तटीय राज्यों में)।

इस आर्थिक संकट को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय

- विदेशी मुद्रा के आउटफ्लो या बहिर्वाह को रोकने के लिए लग्जरी वाहनों, रासायनिक उर्वरकों और हल्दी जैसे खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- विदेशी मुद्रा के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट (वायदा अनुबंध) पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- **रेमिटेंस (दन–प्रेषण) के इनफ्लो या अंतर्वाह** को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने हेतु सरकार ने **स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट्स** के लिए प्रावधान किए हैं।

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 लोक सभा में पेश किया गया

- इस विधेयक में **दिल्ली के तीन नगर निगमों (दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी) का विलय करने का प्रस्ताव** किया गया है।
  - इस विधेयक में **"दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957"** में वर्ष 2011 में किए गए संशोधन को निष्प्रभावी करने के प्रावधान हैं।
    - ज्ञातव्य है कि वर्ष 2011 के संशोधन के द्वारा दिल्ली नगर निगम को उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी यानी तीन नगर निगमों में विभाजित कर दिया गया था।
- **इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी?**
  - **नागरिक सेवाओं के अधिक कुशल वितरण हेतु** इन तीनों नगर निगमों को एकल, एकीकृत और एक सक्षम इकाई में बदलने की आवश्यकता महसूस की गई है।
  - इससे संसाधनों का **सबसे बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए एक मजबूत तंत्र** सुनिश्चित हो सकेगा।
  - **इससे पारदर्शिता में वृद्धि होगी और बेहतर गवर्नेंस सुनिश्चित होगा।**
  - यह तीनों नगर निगमों के दायित्वों को संतुलित कर संसाधनों की कमी को भी पूरा करेगा।
- **इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर नज़र:**
  - **एकीकृत नगर निगम में सीटों की अधिकतम संख्या 250** रखने का प्रस्ताव किया गया है।
  - **स्थानीय निकायों के निदेशक (Director of Local Bodies)** के पद से संबंधित प्रावधान को हटाया गया है।
  - यह एकीकृत MCD की पहली बैठक होने तक **केंद्र को एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति** देता है।
- राज्यों में नगर निगमों की स्थापना संबंधित राज्य विधान–मंडलों द्वारा कानून बनाकर की जाती है। हालांकि, केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर की जाती है।
  - **74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया।** इसमें नगर निगम और नगर–पालिकाओं के प्रशासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

अन्य सुर्खियाँ

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 (The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022)

- यह विधेयक अनुसूचित जनजातियों की सूची में त्रिपुरा के **'डारलोंग समुदाय'** को शामिल करने संबंधित है। इसके लिए **"संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950"** में संशोधन किया जाएगा।
  - इस विधेयक में त्रिपुरा के **'डारलोंग'** समुदाय को 'कुकी' की उप–जनजाति के रूप में अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।
- त्रिपुरा के जनजातीय समुदायों में शामिल हैं– **त्रिपुरी या देबबर्मा, रियांग या ब्रू, जमातिया, नोआतिया, उचोई, चकमा, मोग, लुशाई, कुकी, मुंडा, कौर, ओरम, संथाल, भुल, भूटिया, चैमार या सेरमाई, गारो, खासी, लेप्चा और हलाम।**
  - **हलाम समुदाय** के भीतर कई छोटे आदिवासी कबीले हैं। इनमें से कई **भाषाई रूप से लुप्तप्राय समूह हैं जैसे कि बोंगचर, कार्बोंग आदि।**

श्रिंकफ्लेशन (Shrinkflation)

- श्रिंकफ्लेशन मूल रूप से **छिपी हुई मुद्रास्फीति का एक रूप है,** जिसमें किसी **उत्पाद के आकार को कम कर** उसके अंकित मूल्य (sticker price) को बनाए रखा जाता है।
  - इसके तहत किसी उत्पाद की कीमत बढ़ाने के बजाय, कंपनी ग्राहकों को उसी अंकित मूल्य पर एक छोटा पैकेज/ वस्तु की कम मात्रा प्रदान करती है।
- **वस्तु की कम मात्रा देकर** पिछली कीमत को बनाए रखना, कंपनियों द्वारा चुपके से लाभ अंतर को बढ़ाने के लिए या बढ़ती लागत के नाम पर लाभ को बनाए रखने हेतु अपनाई जाने वाली एक रणनीति है। यह मुख्य रूप से **खाद्य और पेय उद्योगों** में अपनाई जाती है।

रक्त में माइक्रोप्लास्टिक्स (Microplastics in blood)

- वैज्ञानिकों को **पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक मिला है।** उन्होंने यह चेतावनी दी है कि सभी जगह मौजूद ये कण अंगों में भी पहुंच सकते हैं।
  - अधिकांश अदृश्य प्लास्टिक के छोटे टुकड़े पहले से ही पृथ्वी पर लगभग हर जगह मौजूद हैं। ये कण गहरे महासागरों से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों के साथ–साथ, हवा, मिट्टी और खाद्य श्रृंखला में उपस्थित हैं।
- हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि **क्या ये माइक्रोप्लास्टिक्स रक्त प्रवाह द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में एकत्र हो सकते हैं और किसी रोग का कारण बन सकते हैं।**

सुपर कंप्यूटर परम शक्ति (Supercomputer PARAM Shakti)

- IIT खड़गपुर ने एक **पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर "परम शक्ति" लॉन्च किया है।**
  - सुपर कंप्यूटर, बहुत तेज कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग बड़े वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है।
- परम शक्ति को **नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM)** के तहत विकसित किया गया है।
  - **NSM, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है।** इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस कंप्यूटिंग (सी–डैक) और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु द्वारा कार्यान्वित किया गया है।
  - NSM के द्वारा हमारे राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है। इसमें 70 से अधिक हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग (HPC) केंद्रों से युक्त **एक विशाल सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड** स्थापित करना शामिल है।

विकेन्द्रीकृत कचरा प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क (Decentralized Waste Management Technology Park)

- वेल्थ मिशन ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) के सहयोग से न्यू जाफराबाद में **विकेन्द्रीकृत कचरा प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क** की स्थापना की है।
  - यह एक **पायलट परियोजना** है, जो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समग्र समाधान प्रदान करती है।
  - इस पार्क का लक्ष्य **जीरो वेस्ट, जीरो एनर्जी और जीरो लैंडफिल** है।
- **इस प्रौद्योगिकी पार्क में इस्तेमाल होने वाली प्रौद्योगिकियां:**
  - **जेपर (Xaper):** यह तकनीक **ताजे व मिश्रित नगरपालिका ठोस कचरे** को खाद, दहनशील, निष्क्रिय घटकों आदि के रूप में अलग करती है।
  - **प्लाज्मा पायरोलिसिस यूनिट:** यह तकनीक **ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण** में कार्बन युक्त सामग्री के **तापीय विघटन (thermal disintegration)** के लिए लगाई गई है।
  - **गैसीफायर:** यह नगरपालिका के ठोस कचरे के गैसीकरण की एक तकनीक है।

दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त (Chief Commissioner for Persons with Disabilities)

- **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** ने दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के नए कार्यालय का शुभारंभ किया है।
- **दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त के बारे में:**
  - इसे पूर्ववर्ती **दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995** के तहत स्थापित किया गया है। यह **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** के तहत कार्य करता है।
  - **अधिदेश:**
    - दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्तों के कार्यों का **समन्वय** करना,
    - केंद्र सरकार द्वारा वितरित धन के उपयोग की **निगरानी** करना, और
    - दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराए गए **अधिकारों और सुविधाओं की सुरक्षा** के लिए कदम उठाना।

 हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम (Hornbill Nest Adoption Program: HNAP)	❍ हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश की **निशि (Nyishi) जनजाति** ने हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम (HNAP) के एक दशक पूरा होने का उत्सव मनाया है। ➢ HNAP, को वर्ष 2011 में समुदाय आधारित हॉर्नबिल संरक्षण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व के बाहरी वन क्षेत्र में संचालित होता है। ❍ हॉर्नबिल को **एक वन के बेहतर स्थिति का संकेतक** माना जाता है। हॉर्नबिल को **बीज फैलाने वाला** और **"जंगल के किसान"** के रूप में भी जाना जाता है। ❍ **भारत में हॉर्नबिल की नौ प्रजातियां पाई जाती हैं।** इनमें से चार पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं, ये हैं – **इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और ग्रेट हॉर्नबिल।**
 नागपुर संतरा (Nagpur Oranges)	❍ नागपुर संतरे को **वर्ष 2014 में GI टैग** का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसे "वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999" {Geographical Indication of Goods, (Registration and Protection) Act 1999} के तहत GI टैग प्राप्त है। ❍ इन संतरों की विशेषता इनका अद्वितीय **मीठा–खट्टा स्वाद है।** संतरों का यह स्वाद विदर्भ क्षेत्र की **विशिष्ट मिट्टी और कृषि–जलवायु परिस्थितियों के कारण** प्राप्त होता है। ❍ नागपुर संतरे को मंजूरी देने के लिए पांच विशेषताओं का उपयोग किया गया है। इनमें आकार, रंग, बीजों की संख्या और रस के रासायनिक गुण शामिल हैं। इन्हीं के कारण इसका अपना स्वाद और सुगंध होता है।
 मालाबार /मोपला विद्रोह, 1921 (Malabar/Moplah Rebellion, 1921)	❍ इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च (ICHR) ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची से वरियनकुनाथ कुन्हमद हाजी और अली मुसलियार सहित **वर्ष 1921 मालाबार विद्रोह के शहीदों को हटाने की सिफारिश पर अपना निर्णय स्थगित कर दिया है।** ➢ इससे पहले, ICHR द्वारा गठित तीन सदस्यीय पैनल ने मालाबार विद्रोह के शहीदों के नाम हटाने की सिफारिश की थी। पैनल का मानना था कि मोपला विद्रोह कभी भी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक कट्टरपंथी आंदोलन था। ❍ इस विद्रोह के दौरान मोपला में दंगे भी हुए थे। ❍ **यह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के विरुद्ध स्थानीय मुस्लिम काश्तकारों का विद्रोह था।**

VISION IAS

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी